18 April PG II Sem

Date __/__/__

नातेदारी
(Kinship)

नातेदारी मानव समाज की सामान्य विशेषताओं में से एक है। नातेदारी का आधार विवाह द्वारा उत्पन्न, सम्बन्ध एवं वंशजों के मध्यम का सम्बन्ध है। अतः नातेदारी से अभिप्राय व्यक्ति के उन सम्बन्धों से होता है जो रक्त पर आधारित है। यह जो सम्बन्ध समाज द्वारा अनुमति प्राप्त है।

रिवर्स के अनुसार :— "नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश सम्बन्ध है जो सामाजिक सम्बन्धों के परंपरागत सम्बन्धों का आधार है।"

चार्ल्स विनिक के अनुसार :— "नातेदारी प्रणाली के अन्तर्गत समाज द्वारा वे मान्य सम्बन्ध आते है जो कि रक्त सम्बन्धों पर आधारित हो।

डॉ० मजूमदार एवं मदान के अनुसार :— "समस्त समाजों में मनुष्य विभिन्न व्यक्ति समूहों में विभिन्न सम्बन्धों में बंधे रहते है। इन सम्बन्धों में सबसे अधिक सार्वभौमिक और आधारभूत सम्बन्ध यह है जो संतान उत्पत्ति पर निर्भर है। संतान उत्पन्न करने की इच्छा नातेदारी कहलाती है।"

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि नातेदारी एक सामाजिक तथ्य है जिसके अन्तर्गत समाज की स्वीकृति महत्वपूर्ण कार्य रखता है। सम्बन्धों की सामाजिक स्वीकृति से सम्बन्धित नियम भिन्न-भिन्न समाजों में भिन्न-भिन्न पाये जाते है। नातेदारी में रक्त सम्बन्धियों एवं विवाह सम्बन्धियों दोनों को सम्मिलित किया जाता है। वैसे सम्बन्ध को भी सामाजिक स्वीकृति मिलती है जो प्राणीशास्त्रीय नहीं भी होते है। जिनमें पिता जबतक सामाजिक औपचारिकता को पूरा नहीं करता है। पिता नहीं कहलाता है। यही कारण है कि गोद लिया पुत्र या पुत्री भी नातेदारी माने जाते है। ये आदिवासी समाजों में प्रथाएँ पायी जाती है इसी प्रकार कुछ जनजातियों में लड़का यदि पिता द्वारा उत्पन्न न हो तो भी पिता को पितृत्व ग्रहण करना पड़ता है। टोडा जनजाति में सभी भाईयों की पत्नी एक ही होती है। किसी भी भाई को पितृत्व ग्रहण करने के लिए सामाजिक प्रथा का निर्वाह करना पड़ता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि नातेदारी के लिए रक्त सम्बन्ध के अतिरिक्त सामाजिक मान्यता भी आवश्यक है।

नातेदारी के प्रकार

I. विवाह सम्बन्धी नातेदारी
II. रक्त सम्बन्धी नातेदारी
III. काल्पनिक नातेदारी

I. **विवाह सम्बन्धी नातेदारी :—** इससे सम्मिलित नातेदारी भी कहा जाता है। इस तरह की नातेदारी व्यवस्था विशेषकर पति-पत्नी के सम्बन्धित होता है इस प्रकार के सम्बन्धों का आधार रक्त नहीं होता है। वैवाहिक सम्बन्ध के द्वारा न केवल पति-पत्नी एक सूत्र में बाँधते है बल्कि उन दोनों के सभी रक्त सम्बन्धी भी एक-दूसरे के सम्बन्धी हो जाते है। अतः विवाह के बाद पति तथा पत्नी के पक्षों की एक सम्मिलित नातेदारी स्थापित हो जाती है। जो सम्बन्धों के दोव्यक्तियों के संदर्भ में ही प्रकट किया जाता है। जैसे:- सास-बहू, ससुर-बहू, पति-पत्नी, जीजा-साली, देवर-भाभी, ननद-भवजाई, मामा-भांजा, भतीजा-फूफा आदि। इन सभी सम्बन्धों का आधार रक्त न होकर विवाह होता है।

II. **रक्त सम्बन्धी नातेदारी :—** प्रजनन के आधार पर इस प्रकार की नातेदारी बनती है। यह सम्बन्ध रक्त के आधार पर होता है इसीलिए इसमें सामाजिक पक्ष की

Scanned with CamScanner